



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032024-253255
CG-DL-E-20032024-253255

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]
No. 190]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 20, 2024/फाल्गुन 30, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 20, 2024/PHALGUNA 30, 1945

भारतीय स्टेट बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 18 मार्च, 2024

सं. एचआर/पी&पीएमडी/एसपीएल/एसपी/2023-24/29.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (o) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद तथा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्वारा भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

- (1) इन नियमों को भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
(2) यह विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) के विनियम 23 में, -
(क) उप-विनियमन (2) में, —
(i) दूसरे परंतुक में, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार", शब्द "औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) मौजूदा परंतुको के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत में निविष्ट किया जाएगा, यथा :—
"बशर्ते कि 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी वेतनमान में मूल वेतन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त हो चुके या सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए पेंशन की अधिकतम राशि की गणना इस संबंध में अगले संशोधन तक निम्नानुसार की जाएगी---

(क) जहां पिछले बारह महीनों की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक मूल वेतन का औसत अस्सी हजार चार सौ पचास रुपये प्रति माह तक है, पिछले बारह महीनों की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक मूल वेतन के औसत का पचास प्रतिशत और व्यावसायिक योग्यता वेतन का आधा और स्थिर व्यक्तिगत वेतन के वेतन वृद्धि घटक का आधा हिस्सा, जहां भी लागू हो (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपात); और

(ख) जहां पिछले बारह महीनों की पेंशन योग्य सेवा के दौरान आहरित मासिक मूल वेतन का औसत अस्सी हजार चार सौ पचास रुपये प्रति माह से अधिक है, पेंशन योग्य सेवा के अंतिम बारह महीनों के दौरान आहरित मासिक मूल वेतन के औसत का चालीस प्रतिशत, न्यूनतम चालीस हजार दो सौ पच्चीस रुपये प्रति माह, जिसमें व्यावसायिक योग्यता वेतन का आधा हिस्सा व स्थिर व्यक्तिगत वेतन का आधा वेतन वृद्धि घटक, जहां भी लागू हो, शामिल होगा (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपात):

बशर्ते कि 10 नवंबर 2023 से, सेवानिवृत्ति की तिथि या वेतनमान के बावजूद, जिसमें पिछले बारह महीनों की पेंशन योग्य सेवा के दौरान मासिक मूल वेतन आहरित किया गया हो, सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए पेंशन की अधिकतम राशि की गणना पिछले बारह महीनों की पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त मासिक मूल वेतन के औसत के पचास प्रतिशत की दर से की जाएगी, साथ ही व्यावसायिक योग्यता वेतन का आधा हिस्सा और स्थिर व्यक्तिगत वेतन वृद्धि का आधा वेतन वृद्धि घटक, जहां लागू हो, भी शामिल होगा (अंशकालिक कर्मचारियों के मामले में यथानुपात)।

स्पष्टीकरण:- उपरोक्त प्रावधान भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगा, तथा 10 नवंबर, 2023 से पेंशन की गणना व भुगतान इस प्रावधान के तहत किया जाएगा।"

(ख) उप-विनियम (7) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(7) किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में-

(अ) एक वर्ष की पेंशन योग्य सेवा पूरी होने के बाद बैंक की सेवा में रहते हुए; या

(ब) सेवानिवृत्ति के बाद,

ट्रस्टी केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियमों एवं शर्तों पर कर्मचारी के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर सकते हैं:

बशर्ते कि किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, पेंशन के रूप में उसे देय धनराशि, पेंशन की बकाया राशि के रूप में अथवा अन्यथा अर्जित, विनियम 23ए में निर्दिष्ट तरीके से देय होगी। स्पष्टता के लिए, इस परंतुक में उल्लिखित धनराशि में पारिवारिक पेंशन शामिल नहीं है।"

(ग) उप-विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(8) (ए) उन सदस्यों के मामले में, जो 1 नवंबर 1987 (1 नवंबर 1987 को छोड़कर) से पहले बैंक की पेंशन योग्य सेवा में नहीं रहे, को 1960=100 औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 600 अंक से अधिक पर 0.67% प्रति स्लैब की एक समान दर पर महंगाई राहत देय होगी, जो 600 अंक तक आवश्यक समायोजन के अधीन होगी।

(ख) उपर्युक्त चार बिन्दुओं के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी:

सारणी

प्रति माह मूल पेंशन का स्केल	संशोधित महंगाई राहत संरचना 1 अक्टूबर, 2023 से जनवरी, 2024 तक प्रभावी	मूल पेंशन और महंगाई राहत के अलावा एक्स-ग्रेसिया
(1)	(2)	(3)
(क) 1250 रुपये तक	1386.90 %	800 रु
(ख) 1251 रुपये से 2000 रुपये	(महंगाई राहत 600 अंकों पर 0.67% प्रति स्लैब की समान दर से होगी)	450 रुपये
(ग) 2001 रुपये से 2130 रुपये		रु 0
(घ) 2130 रुपये से अधिक		रुपये 0";

(घ) उप-विनियमन (9) को निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(9) (क) उन सदस्यों के मामले में जो 1 नवंबर, 1987 से 31 अक्टूबर, 1992 (अवार्ड कर्मचारी) या 30 जून, 1993 (पर्यवेक्षी स्टाफ) तक बैंक की पेंशन योग्य सेवा में नहीं रहे, महंगाई राहत 1960=100 औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 अंकों से अधिक 0.67% प्रति स्लैब की समान दर पर देय होगी, जो 600 अंकों तक उपयुक्त रूप से आवश्यक समायोजन के अधीन होगी।

(ख) उपर्युक्त चार बिन्दुओं के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

सारणी

प्रति माह मूल पेंशन का स्केल	संशोधित महंगाई राहत संरचना 1 अक्टूबर, 2023 से जनवरी, 2024 तक प्रभावी	मूल पेंशन और महंगाई राहत के अलावा एक्स-ग्रेसिया
(1)	(2)	(3)
(क) 1250 रुपये तक	1386.90 %	800 रु
(ख) 1251 रुपये से 2000 रुपये	(महंगाई राहत 600 अंकों से अधिक 0.67% प्रति स्लैब की समान दर से होगी)	450 रुपये
(ग) 2001 रुपये से 2130 रुपये		रु 0
(घ) 2130 रुपये से अधिक		रुपये 0";

(ङ) उप-विनियमन (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(10) (क) उन सदस्यों के मामले में जो 1 नवंबर, 1992 (अवार्ड स्टाफ) या 1 जुलाई, 1993 (पर्यवेक्षी स्टाफ) को या उसके बाद बैंक की पेंशन योग्य सेवा में नहीं रहे, महंगाई राहत 1960=100 औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1148 अंकों से अधिक 0.35% प्रति स्लैब की समान दर से देय होगी, जो 1148 अंकों तक उपयुक्त रूप से आवश्यक समायोजन के अधीन होगी।

(ख) प्रत्येक उक्त चार बिन्दुओं के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना नीचे दिए गए तरीके से की जाएगी:

सारणी

प्रति माह मूल पेंशन का स्केल	संशोधित महंगाई राहत संरचना 1 अक्टूबर, 2023 से जनवरी, 2024 तक प्रभावी	मूल पेंशन और महंगाई राहत के अलावा एक्स-ग्रेसिया
(1)	(2)	(3)
(क) 2400 रुपये तक	676.55 %	800 रु
(ख) 2401 रुपये से 3850 रुपये	(महंगाई राहत 1148 अंकों पर 0.35% प्रति स्लैब की समान दर से होगी)	450 रुपये
(ग) 3851 रुपये से 4100 रुपये		रु 0
(घ) 4100 रुपये से अधिक		रुपये 0";

(च) उप-विनियमन (12) में, खंड (iii) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(iii) (क) उन सदस्यों के मामले में जो 1 नवंबर, 1997 (अवार्ड स्टाफ) या 1 अप्रैल, 1998 (पर्यवेक्षी स्टाफ) को या उसके बाद बैंक की पेंशन योग्य सेवा में नहीं रहे और 1 नवंबर, 2002 से पहले, महंगाई राहत 1960 = 100 औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1684 अंकों से अधिक

0.24% प्रति स्लैब की समान दर पर देय होगी, जो 1684 अंकों तक उपयुक्त रूप से आवश्यक समायोजन के अधीन होगी।

(ख) प्रत्येक उक्त चार बिंदुओं के लिए महंगाई राहत में इस तरह की वृद्धि या कमी की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

सारणी

प्रति माह मूल पेंशन का स्केल	संशोधित महंगाई राहत संरचना 1 अक्टूबर, 2023 से जनवरी, 2024 तक प्रभावी	मूल पेंशन और महंगाई राहत के अलावा एक्स-ग्रेसिया
(1)	(2)	(3)
(i) रु. 3550 तक	431.76%	800 रु
(ii) 3551 रुपये से 5650 रुपये	(महंगाई राहत 1684 अंकों पर 0.24% प्रति स्लैब की समान दर से होगी)	450 रुपये
(iii) 5651 रुपये से 6010 रुपये		रु 0
(iv) 6010 रुपये से अधिक		रुपये 0";

(छ) उप-विनियमन (15) में, -

(i) खंड (i) और खंड (ii) में, "अखिल भारतीय औसत कर्मचारी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड के बाद (ii), निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा अर्थात्, -

"(iii) उन कर्मचारियों के संबंध में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होंगे, पेंशन पर महंगाई भत्ता प्रत्येक वृद्धि के लिए छमाही आधार पर देय होगा या प्रत्येक गिरावट पर, जैसा भी मामला हो, की वसूली औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1960=100 पर मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत पर तिमाही औसत में 6352 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों के अनुसार होगी।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 23 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"23A. नामांकन- (1) पेंशन के बकाया के रूप में या अन्यथा उपार्जित पेंशन के कारण किसी सदस्य को संदेय सभी धनराशियाँ और जो सदस्य की मृत्यु तक अदत्त रहती हैं, ऐसे सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, विनियम 23 के उप-विनियम (7) के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र सदस्य को देय होगी:

बशर्ते सदस्य विनियम 23 के उप-विनियम (7) के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से भिन्न अन्य व्यक्ति को, यदि न तो सदस्य और न ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति ऐसी राशि का भुगतान करने की तारीख को जीवित है, उपर्युक्त राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए उसके पक्ष में नामांकन कर सकेगा।

(2) यदि किसी सदस्य के संबंध में विनियम 23 के उप-विनियम (7) के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति पात्र नहीं है तो सदस्य उपर्युक्त उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के पक्ष में नामांकन कर सकेगा:

बशर्ते कि यदि परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति बाद में आवेदन करता है, तो पिछला नामांकन वैध नहीं रहेगा और इस विनियमन के अन्य प्रावधान उसके बाद ऐसे सदस्य पर लागू होंगे।

(3) प्रत्येक सदस्य के पास व्यक्तिगत रूप में पावती के साथ या बैंक की संबंधित शाखा, जिसके माध्यम से पेंशन प्राप्त की जाती है, को पंजीकृत डाक पावती के माध्यम से उप-विनियम (1) या (2) के तहत फॉर्म "ए" में आवेदन करके नामांकन करने का विकल्प होगा:

बशर्ते कि एक सदस्य जो सेवा में है, अपनी सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले फॉर्म "ए" में आवेदन करके नामांकन कर सकता है।

बशर्ते कि न्यासी ऐसी शर्तों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉर्म "ए" जमा करने की अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(4) नामांकन में कोई भी संशोधन फॉर्म "ए" में नए आवेदन जमा करने से किया जाएगा और नवीनतम नामांकन को इस विनियमन के तहत एकमात्र वैध नामांकन माना जाएगा।

(5) नामांकन या उसमें संशोधन ऐसे नामांकन या उसके संशोधन के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

(6) इस विनियम के अधीन किया गया नामांकन, उप-विनियम में विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्ति के संबंध में एक सटीक प्रमाण होगा।

(7) उपर्युक्त प्रावधानों को छोड़कर, इस विनियम में निहित कोई भी बात इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन या पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए नामित व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

(फार्म - ए)

[विनियम 23ए देखें]

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

ट्रस्टी - भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन फंड
शाखा प्रबंधक के माध्यम से

भारतीय स्टेट बैंक

(शाखा का नाम व शाखा कोड)

मैं(भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन फंड के सदस्य का नाम)

एतद्वारा भारतीय स्टेट बैंक पेंशन निधि विनियम, 2014 के विनियम 23ए के अंतर्गत नीचे दिए गए व्यक्ति को नामांकित करता/करती हूँ जो विनियम 23ए के अंतर्गत उप-विनियम (1) अथवा उप-विनियम (2) के परन्तुक में उल्लिखित उन परिस्थितियों में उक्त विनियम 23ए के उप-विनियम (1) के अंतर्गत निधियाँ प्राप्त करेगा।

1. नामिती का नाम व पता	:
2. सदस्य के साथ संबंध	:
3. नामिती की जन्म तिथि	:
4. ऐसे व्यक्ति का नाम व पता जो नामिती की नाबालिग अवधि में देय राशि प्राप्त करेगा (नामिती, नाबालिग होने पर)	:

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे संबंध में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई पात्र व्यक्ति नहीं है और तदनुसार मैं उपर्युक्त नामांकन करता/करती हूँ।

(विनियम 23ए के उप-नियम (2) के अंतर्गत किए गए नामांकन की स्थिति में लागू)

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर (निरक्षर होने पर अंगूठे का निशान)
तथा सदस्य का नाम

साक्षी के हस्ताक्षर:

नाम व पता:

प्रमाणित किया जाता है कि(सदस्य का नाम) जिनका पताहै, से आवेदन/नामांकन प्राप्त हुआ।

स्थान:
दिनांक:

शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर
शाखा का नाम, पता व मुहर

राजीव कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

[विज्ञापन-III/4/असा./844/2023-24]

टिप्पणी: मूल विनियमों को दिनांक 18 सितंबर 2014 के फाइल सं. सीडीओ/पीएम/16/एसपीएल/1136 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 में प्रकाशित किया गया और बाद में दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या बीओडी एंड जीओ/वीवीके/470 एवं दिनांक 1 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या एचआर/पीपीजी/पीए/19-20/122 तथा दिनांक 3 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या, एफ सं. एचआर/पीपीजी/एसकेएन/2020-21/206 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

STATE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th March, 2024

No. HR/P&PMD/SPL/SP/2023-24/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (o) of sub section (2) of section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the State Bank of India Employees' Pension Fund Regulations, 2014, namely: —

1. (1) These regulations may be called the State Bank of India Employees' Pension Fund (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the State Bank of India Employees' Pension Fund Regulations, 2014 (hereinafter to be referred as the said regulations), in regulation 23, —

(A) in sub-regulation (2), —

(i) in the second proviso, for the words and brackets, "All India Working Class Consumer Price Index (General) Base", the words "All India Consumer Price Index for Industrial Workers in the series" shall be substituted;

(ii) after the existing provisos, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided also that with effect from the 1st November, 2017, the maximum amount of pension for the members who retired or retire drawing substantive salary in the Pay Scales effective from the 1st November, 2017 shall be computed till further amendments in this regard, as under—

(a) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is up to rupees eighty thousand four hundred fifty per month, fifty per cent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service plus half of Professional Qualification Pay plus half of increment component of Fixed Personal Pay, wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees); and

(b) where the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service is above rupees eighty thousand four hundred fifty per month, forty per cent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service subject to minimum of rupees forty thousand two hundred twenty five per month plus half of Professional Qualification Pay plus half of increment component of Fixed Personal Pay, wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees):

Provided also that with effect from the 10th November, 2023, notwithstanding the date of retirement or the Pay Scales in which the monthly substantive salary during the last twelve months' pensionable service is drawn, the maximum amount of pension for the members who retired or retire shall be computed at the rate of fifty per cent of the average of monthly substantive salary drawn during the last twelve months' pensionable service plus half of Professional Qualification Pay plus half of increment component of Fixed Personal Pay, wherever applicable (pro-rata in the case of part-time employees).

Explanation. — The above proviso shall apply prospectively, and the pension shall be computed and payable under this proviso with effect from the 10th November, 2023.”;

(B) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(7) In the event of death of a member—

- (a) while in service of the Bank after completion of pensionable service of one year; or
- (b) after retirement,

the trustees may sanction family pension to the dependent(s) of the employee on the terms and conditions approved by the Central Board:

Provided that in the event of death of a member, the moneys payable to him on account of pension, as arrears of pension or otherwise accrued, shall be payable in the manner specified in the regulation 23A. For the sake of clarity, the moneys referred in this proviso does not include family pension.”;

(C) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(8)(a) In the case of members who ceased to be in the Bank's pensionable service prior to the 1st November, 1987 (excluding the 1st November, 1987), dearness relief shall be payable at the uniform rate of 0.67% per slab over 600 Points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, subject to necessary adjustment suitably up to 600 points.

(b) Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:—

TABLE

Scale of basic pension per month	Revised dearness relief structure w.e.f. 1 st October, 2023 to January, 2024	Ex-gratia over and above basic pension and dearness relief thereon
(1)	(2)	(3)
(a) Up to Rs. 1250	1386.90 % (Dearness relief shall be at the uniform rate of 0.67% per slab over 600 Points)	Rs 800
(b) Rs. 1251 to Rs. 2000		Rs 450
(c) Rs. 2001 to Rs. 2130		Rs 0
(d) Above Rs. 2130		Rs 0 ”;

(D) for sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(9)(a) In the case of members who ceased to be in the Bank's pensionable service from the 1st November, 1987 to the 31st October, 1992 (Award Staff) or the 30th June, 1993 (Supervising Staff), dearness relief shall be payable at the uniform rate of 0.67% per slab over 600 Points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, subject to necessary adjustment suitably up to 600 points.

(b) Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:—

TABLE

Scale of basic pension per month	Revised dearness relief structure w.e.f. 1 st October, 2023 to January, 2024	Ex-gratia over and above basic pension and dearness relief thereon
(1)	(2)	(3)
(a) Up to Rs. 1250	1386.90 % (Dearness relief shall be at the	Rs 800
(b) Rs. 1251 to Rs. 2000		Rs 450

(c) Rs. 2001 to Rs. 2130	uniform rate of 0.67% per slab over 600 points)	Rs 0
(d) Above Rs. 2130		Rs 0 ”;

(E) for sub-regulation (10), the following sub-regulation shall be substituted, namely: —

“(10)(a) In the case of members who ceased to be in the Bank’s pensionable service on or after the 1st November, 1992 (Award Staff) or the 1st July, 1993 (Supervising Staff), dearness relief shall be payable at the uniform rate of 0.35 % per slab over 1148 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, subject to necessary adjustment suitably up to 1148 points.

(b) Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:—

TABLE

Scale of basic pension per month	Revised dearness relief structure w.e.f. 1 st October, 2023 to January, 2024	Ex-gratia over and above basic pension and dearness relief thereon
(1)	(2)	(3)
(a) Up to Rs. 2400	676.55 %	Rs 800
(b) Rs. 2401 to Rs. 3850	(Dearness relief shall be at the uniform rate of 0.35% per slab over 1148 points)	Rs 450
(c) Rs. 3851 to Rs. 4100		Rs 0
(d) Above Rs. 4100		Rs 0 ”;

(F) in sub-regulation (12), for clause (iii), the following shall be substituted, namely: —

“(iii)(a) in the case of members who ceased to be in the Bank’s pensionable service on or after the 1st November, 1997 (Award Staff) or the 1st April, 1998 (Supervising Staff) and prior to the 1st November, 2002, dearness relief shall be payable at the uniform rate of 0.24 % per slab over 1684 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, subject to necessary adjustment suitably up to 1684 points.

(b) Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:

TABLE

Scale of basic pension per month	Revised dearness relief structure w.e.f. 1 st October, 2023 to January, 2024	Ex-gratia over and above basic pension and dearness relief thereon
(1)	(2)	(3)
(i) Up to Rs. 3550	431.76%	Rs 800
(ii) Rs. 3551 to Rs. 5650	(Dearness relief shall be at the uniform rate of 0.24% per slab over 1684 Points)	Rs 450
(iii) Rs. 5651 to Rs. 6010		Rs 0
(iv) Above Rs. 6010		Rs 0 ”;

(G) in sub-regulation (15),—

(i) in clauses (i) and (ii), for the words and brackets “All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base”, the words “All India Consumer Price Index for Industrial Workers in the series” shall be substituted;

(ii) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(iii) In respect of employees who retired or retire on or after the 1st November, 2017, dearness relief on pension shall be payable on half-yearly basis for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 at 0.07 per cent of the basic pension.”.

3. In the said regulations, after regulation 23, the following regulation shall be inserted, namely:—

“23A. Nomination.— (1) All moneys payable to a member on account of pension as arrears of pension or otherwise accrued and which remain unpaid till the death of the member shall be fully payable to the person eligible to receive family pension under sub-regulation (7) of regulation 23, in the event of death of such member:

Provided that the member may make nomination in favour of any person other than the person eligible to receive family pension under sub-regulation (7) of regulation 23 conferring on such other person the right to receive the above moneys in the event of neither the member nor the person eligible to receive family pension being alive on the date such money is paid.

(2) If there is no person eligible to receive family pension under sub-regulation (7) of regulation 23 in respect of a member, then the member may make nomination in favour of any person to receive the moneys specified in sub-regulation (1) above:

Provided that if any such person eligible to receive family pension subsequently comes into existence in respect of such member, then the previous nomination shall no longer be valid, and the other provisions of this regulation shall apply to such member thereafter.

(3) Every member shall have the option to make nomination under sub-regulations (1) or (2) by making an application in Form “A”, by personal service after taking receipt or by sending through registered post acknowledgement due to the respective branch of the Bank through whom pension is drawn:

Provided that a member who is in service may make nomination by making an application in Form “A” three months before his retirement.

Provided further that the trustees reserve the right to permit submission of Form “A” through electronic means on such conditions as may be determined by the Central Board.

(4) Any modification in nomination shall be made by way of submission of fresh application in Form “A” and the latest nomination shall be treated as the only valid nomination under this regulation.

(5) The nomination or modification thereof shall take effect from the date of receipt of the application for such nomination or modification thereof.

(6) A nomination made under this regulation shall be a conclusive proof with regard to the person nominated to receive the moneys specified in sub-regulation (1).

(7) Save as otherwise provided, nothing contained in this regulation shall confer any right on the person so nominated to claim pension or family pension under these regulations.

FORM – A

[See regulation 23A]

(To be submitted in triplicate)

The Trustees of the State Bank of India Employees’ Pension Fund,

(Through the Branch Manager,

State Bank of India

(Name of Branch and Branch Code))

I(Name of the Member of State Bank of India Employees’ Pension Fund) hereby nominate the person named below under regulation 23A of the State Bank of India Employees’ Pension Fund Regulations, 2014 to receive the moneys under sub-regulation (1) of said regulation 23A in those circumstances specified in proviso to sub-regulation (1) or sub-regulation (2) of said regulation 23A.

1. Name and address of the nominee	
2. Relationship with the member	
3. Date of birth of the nominee	
4. Name and address of the person who may receive the moneys during the minority of the nominee (if the nominee is minor)	

I hereby declare that there is no person eligible to receive family pension in respect of me and accordingly I make the above nomination.

(Applicable where the nomination is made under sub-regulation (2) of regulation 23A)

Place:

Date:

Signature or thumb impression
and the name of the member

Witness's Signature:

Name and Address:

Certified that application/nomination has been received from

(Name of the member) whose address is

Place:

Signature of Branch Manager

Date:

Branch Name, Address and Seal:

RAJEEV KUMAR, Chief General Manager (HR)

[ADVT.-III/4/Exty./844/2023-24]

Note. The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 18th September 2014 *vide* F. No. CDO/PM/16/ SPL/1136 dated the 15th September, 2014 and were subsequently amended by notification number BOD&GO/VVK/470, dated the 4th October, 2017, notification number HR/PPG/PA/19-20/122, dated the 1st June, 2019 and notification number F. No. HR/PPG/SKN/2020-21/206 dated 3rd December, 2020